न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा राहारण (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 105/2015

मन्दिर श्री गोवर्धन जी महाराज जरिये स्वामी/आचार्य गोस्वामी मनोहर पुत्र दीक्षित श्री विठ्ठलनाथ जी आचार्य आयु 65 वर्ष निवासी नया शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर व 63 स्वास्तिक सोसायटी, विले पार्ला, मुम्बई (महाराष्ट्र) प्रार्थी

बनाम

1. श्री गोपाल पुत्र सुवा थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
2. श्री नोरत पुत्र सुवा थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
3. श्री श्योराम पुत्र सुवा थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
4. श्री शिवनारायण पुत्र लादू थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
5. श्री लालाराम पुत्र लादू थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
6. श्री राजू पुत्र लादू थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
7. श्री उगमा पुत्र हीरालाल थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
8. श्री श्योजी पुत्र हीरालाल थेपडिया निवासी ग्राम बांदरसिंदरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर (राज.)
9. तहसीलदार किशनगढ़। .....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री गोविन्द दास पुरोहित निर्णय दिनांक :– 24.06.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री गोविन्ददास पुरोहित द्वारा एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212(2) के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि बाबत् धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद पेश किया है जिसमे सफलता मिलने की प्रार्थी/वादी को पूरी आशा है परन्तु न्यायालय प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/वादी के पूर्वजों को ग्राम गणेशपुरा (किशनगढ़) के वर्तमान वादग्रस्त खसरा नम्बर 2, 7/1, 7/2, 35/1 व 35/2 की कुल 302 बीघा 17 बिस्वा भूमि किशनगढ़ राज्य द्वारा निजी भेट स्वरूप प्राप्त हुई है और प्रार्थी/वादी के पूर्वज सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के प्रचार प्रसार हेतु अधिकतर बाहर प्रवास पर जाने के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

कारण वादग्रस्त खसरा नम्बर खसरा नं. 7/1, 7/2, की कुल 205 बीघा 08 बिस्वा भूमि को काश्त हेतु संभलायी गयी थी। प्रार्थी/वादी के पूर्वजों की सहमति / अनुमति से काश्त करने के बाद वादग्रस्त भूमि की उपज का 1/2 हिस्सा काश्तकार द्वारा प्रार्थी/वादी के पूर्वजों को अदा किया जाता था जिसकी लगान की रसीदे प्रार्थी/वादी के पास सुरक्षित है। प्रार्थी/वादी को अपने निजी कृषि आराजी पर उत्पन्न काश्त का हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 से 8 से प्राप्त करने का अधिकार है। प्रार्थी/वादी द्वारा समय समय पर अपने अधिकारी के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को सूचित किया जाता रहा है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की नियत में फर्क आ जाने के कारण उसके द्वारा पिछले 24 वर्षों से काश्त की गयी फसल का हिस्सा प्रार्थी/वादी के निजी मन्दिर में जमा नही करवाया जा रहा है जिससे प्रार्थी/वादी को काफी आर्थिक क्षति हो रही है। प्रार्थी/वादी को अपनी निजी स्वामित्व की भूमि पर प्राप्त अधिकारों से अकारण वंचित होना पड़ रहा है जो उसके विधिक अधिकारों के हनन की श्रेणी में आता है। प्रार्थी/वादी ने अपने अभिभावक द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की वादग्रस्त खसरा नम्बर 7/1 एवं 7/2 की कुल रकबा 205 बीघा 08 बिस्वा भूमि पर काश्त की सहमति / अनुमति को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 11.06.2015 समाप्त किया जा चुका है। प्रार्थी/वादी का उक्त रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को प्राप्त होने के बाद भी उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि को काश्त किया जा रहा है तथा कृषि उपज का समुचित लाभप्राप्त किया जा रहा है तथा विधि विरूद्ध वादग्रस्त खसरा नम्बर 7/1 एवं 7/2 भूमि को क्षतिग्रस्त किया जाकर काश्त की भूमि को क्षति पहुँचाई जा रही है जिससे प्रार्थी/वादी के विधिक अधिकार प्रभावित हो रहे है। प्रार्थी/वादी के वादग्रस्त भूमि में निहित विधिक हक व अधिकारों की रक्षा के लिए वादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी/वादी को मूल वाद के निस्तारण तक अपूर्तनीय क्षति कारित होने की संभावना है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी/वादी के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 9 लेण्ड होल्डर है इस कारण रिसीवर के प्रार्थना पत्र में उन्हें पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थी की ओर से निम्न निवेदन है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित ग्राम गणेशपुरा के खसरा नम्बर 7/1, 7/2 की रकबा 205 बीघा 08 भूमि पर अप्रार्थी संख्या 9 को रिसीवर नियुक्त किए जाने का आदेश न्याय हित में प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2015 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। समस्त अप्रार्थीगणों ने नोटिस देखकर लेने से मना कर दिया एवं न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 27.11.2015 को अप्रार्थी संख्या 01 से 08 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 07.01.2016 को तहसीलदार किशनगढ का जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि वाद पत्र में अंकित भूमि मंदिर मूर्ति गोरधन जी महाराज ग्राम किशनगढ के स्वामित्व की है अर्थात वादअधीन भूमि मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज है।

दिनांक 17.06.2025 को वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी/वादी के पक्ष में है। अप्रार्थी संख्या 09 सेफ्ड होल्डर है इस कारण रिसीवर के प्रार्थना पत्र में उन्हें पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थी की ओर से निम्न निवेदन है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित ग्राम गणेशपुरा के खसरा नम्बर 7/1, 7/2 की रकबा 205 बीघा 08 बीस्वा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 09 को रिसीवर नियुक्त किए जाने का आदेश न्याय हित में प्रदान करावें।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा जवाब दिनांक 28.09.2015 में उल्लेख किया गया है कि वाद पत्र में अंकित भूमि मंदिर मूर्ति गोरधन जी महाराज सा. किशनगढ़ के स्वामित्व की है अर्थात वादअधीन भूमि मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक क्रमांक/प02(4)/राज./4/90/37 दिनांक 13.12.1991, परिपत्र क्रमांक 03(2) राज.6/2007/पार्ट05 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक / चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करेगें। हमारे द्वारा उक्त परिपत्रों का अध्ययन किया गया एवं मनन किया गया। उक्त परिपत्रों के अध्ययन एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा एवं अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा मन्दिर भूमि के संबध में पारित आदेशों के मनन के उपरान्त न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को वाद अधीन भूमि का रिसीवर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वे उक्त वाद अधीन आराजी ग्राम गणेशपुरा ख0नं0 7/1, 7/2 रकबा 205 बीघा 08 बीस्वा भूमि जो कि वर्तमान में भूमि जो श्री गोरधन जी महाराज सा. किशनगढ की खातेदारी में दर्ज है, को प्रतिवर्ष काश्त हेतु निलामी कार्यवाही कर निलामी राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। तहसीलदार किशनगढ़ वाद अधीन भूमि का कब्जा बहक रिसीवर प्राप्त कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अप्रार्थी सं0 01 से 08 को मूल वाद के निर्णय होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मन्दिर की भूमि एवं रिसीवर कब्जे सरकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप आदि नहीं करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)